उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-56/2019/एस-2-2788/दस-2019-88क(03)/2017
लखनऊ :: दिनाँक:: 26 नवम्बर, 2019
कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'ख' के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित तैनाती स्थल को संशोधित करते हुए कालम-4 में उल्लिखित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	निदेशक, कोषागार के आदेश दिनाँक 28-6-2019 द्वारा की गयी तैनाती।	संशोधित तैनाती
1	2	3	4
1	श्री रमेश चन्द्र सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कृषि निदेशलय, उ0प्र0 लखनऊ।

2- उक्त अधिकारी, तत्काल अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

संख्या-56/2019/एस-2-2788(1)/दस-2019,तददिनाँक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य, कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ/उन्नाव।
7- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।